सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय

की

उत्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा

(केन्द्रीय क्षेत्र एवं केन्द्र प्रायोजित ₹ 500 करोड़ से कम लागत वाली योजना हेतु)

OUTPUT OUTCOME MONITORING FRAMEWORK

(For Central Sector and Centrally Sponsored Schemes costing less than ₹500 crore)

OF

MINISTRY OF FINANCE

2022-2023

विषय सूची

क्रमांक संख्या	विभाग	पृष्ठ संख्या
1.	**मांग संख्या 32 - वित्तीय सेवाएं विभाग**	
(i)	भारत-स्विस सहयोग के तहत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान-VI	1
(ii)	प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना (पीएमवीवीवाई)[2] (सीएस)	1
(iii)	वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई[3]): वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना के लिए एलआईसी को ब्याज सहायता (सीएस)	2
(iv)	स्टैण्ड-अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी योजना - सीजीएसएसआई (एनसीजीटीसी के माध्यम से)	2
(v)	माइक्रो इकाईयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए)	2
(vi)	अटल पेंशन योजना (सीएस)	3
(vii)	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की शेयर पूंजी में अभिदान	3
2.	**मांग संख्या 33 - लोक उद्यम विभाग**	
(i)	परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना	4
(ii)	सीपीएसईज और एसएलपीईज से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास और परामर्श	5

वित्तीय सेवाएं विभाग

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में) 2022-23	प्रतिफल 2022-23			परिणाम 2022-23		
	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2022-23	परिणाम	संकेतक(ओं)	लक्ष्य 2022-23
(i) भारत-स्विस सहयोग-VI के तहत दावों के निपजान के लिए नाबार्ड को अनुदान - VI						
0.84	1. गैर कृषि क्षेत्र के लिए नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गैस-कृषि गतिविधियों के लिए बैंकों द्वारा ऋण के प्रवाह में वृद्धि हो	1.1. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नाबार्ड को दावों के रूप में जारी की गई राशि का प्रतिशत	0.84	1. परिसंपत्ति सृजन और पूंजी निर्माण के माध्यम से गैस-कृषि क्षेत्र का प्रचार	1.1. इस परियोजना के तहत ग्रामीण गैस-कृषि क्षेत्र ऋण के प्रति भारत सरकार का विदेशी प्रशासन को देय भुगतान / प्रतिबद्धताओं को पुरा करने के लिए एक विशेष निधि से नाबार्ड को पुनर्वित्त राशि जारी करना	0.84

(X) इसे ओओएमएफ ढांचे से हटाया जा सकता है, क्योंकि यह केवल भारत सरकार की ऋण चुकौती देनदारियों के लिए एक पार्किंग व्यवस्था है जिसका उपयोग नाबार्ड द्वारा गैर-कृषि क्षेत्र की गतिविधियों के लिए किया जाना है, जैसा कि स्विस सरकार के साथ भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन 2031 तक वैध है।

(ii) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)[2] (सीएस) :

वित्तीय परिव्यय	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2022-23	परिणाम	संकेतक(ओं)	लक्ष्य 2022-23
473.92	1. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों का कवरेज	1.1.मासिक पेंशन योजना का चयन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	102600	1. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत वितरित राशि	1.1. पेंशन भुगतान के लिए जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा वितरित राशि (रू. करोड़ में)	5342.25
		1.2.त्रैमासिक पेंशन योजना का चयन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	28400		1.2. मृत्यु लाभ के लिए एलआईसी द्वारा वितरित राशि (रू. करोड़ में)	801.69
		1.3.छमाही पेंशन योजना का चयन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	18600	2. वरिष्ठ नागरिकों का कवरेज बढ़ा और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत सुनिश्चित रिटर्न से कमी सरकार द्वारा वहन किए गए	1.3. योजना से प्री-मेच्योर निकास के लिए एलआईसी द्वारा वितरित राशि (रू. करोड़ में)	12.64
		1.4.वार्षिक पेंशन योजना का चयन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	61400		1.4. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों में प्रतिशत परिवर्तन	14.86

2 यह योजना सदस्यता के लिए 31 मार्च 2023 तक खुली है; इसके बाद नामांकन की अनुमती नहीं दी जायेगी।

(iii) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) : वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना के लिए एलआईसी को ब्याज सहायता(सीएस)						
94.56	1. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के शत प्रतिशत उपभोक्ताओं को समय पर वितरण	1.1. योजनाओं के तहत ग्राहकों को गारंटीकृत रिटर्न जारी करना (रू. करोड़ में)	1,540	*	*	*

** योजना नए ग्राहकों के लिए बंद है, केवल मौजूदा उपभोक्ताओं को भारत सरकार के समर्थन के माध्यम से गारंटीकृत रिटर्न का भुगतान किया जा रहा है।*

(iv) स्टैंड-अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी योजना - सीजीएसएसआई (एनसीजीटीसी के माध्यम से)						
0.01*	ऐसे ऋणों को गारंटी कवर प्रदान करके जमानत मुक्त ऋण को प्रोत्साहित करना जिससे सदस्य ऋण संस्थानों के ऋण जोखिम को कम किया जा सके	योजना के तहत ऋण खातों की संचयी संख्या की गारंटी दी जाएगी	49,000 #	स्टैंड अप इंडिया योजना (सुपी) के तहत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपये से 100 लाख के बीच ऋण की मंजूरी में वृद्धि	1.1. 2022-23 में स्वीकृत ऋण खातों की संख्या। 1.2. महिलाओं को स्वीकृत ऋण खातों की संख्या। 1.3 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को स्वीकृत ऋण खातों की संख्या	124889 ** 101714 23175

(*) बीई 2022-23 के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि एनसीजीटीसी के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।
(#) योजना 31.10.2021 तक की मांग है। 31.10.2021 तक वास्तविक 38,346 (संचयी एससी/एसटी उधारकर्ता- 7,465 और महिला उधारकर्ता- 30,881) है।
(**) वर्ष 2025 तक कुल 25 लाख ऋणों के लक्ष्य के मुकाबले 31.11.2021 तक 1,24,889 का संचयी लक्ष्य प्राप्त किया गया है। जहां तक श्रेणीवार उपलब्धि का संबंध है, यह योजना मांग आधारित है, कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। हालांकि, प्राप्त वास्तविक संख्या वित्त वर्ष के अंत में साझा की जाएगी। (संचयी उपलब्धि 31.10.2021 तक - एससी/एसटी उधारकर्ता - 23,175 और महिला उधारकर्ता - 1,01,714 कुल = 1,24,889)

(v)माइक्रो इकाईयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए)						
100	ऐसे ऋणों को गारंटी कवर प्रदान करके जमानत मुक्त ऋण को प्रोत्साहित करना जिससे सदस्य ऋण संस्थानों के ऋण जोखिम को कम किया जा सके	योजना के तहत ऋण खातों की संचयी संख्या की गारंटी दी जाएगी (लाख में)	110	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत कोलैटरल फ्री क्रेडिट (10 लाख रुपये तक के ऋण) में वृद्धि	सदस्य ऋण संस्थाओं (एमएलएसआई) द्वारा योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले ऋण की राशि और श्रेणीवार उपलब्धि। शिशु, किशोर और तरुण (रुपये करोड़ में)	1678548 # 722383 561276 394888

** नोटः प्रत्येक श्रेणी में जमानत मुक्त ऋणः शिशु के तहतः 50,000 रुपये तरुणः 5,00,000 रुपये और किशोरः 10,00,000 रुपये*
 # पिछले साल की उपलब्धि के आधार पर हर साल लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस तरह, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में लक्ष्य तय किया जाएगा। जहां तक श्रेणीवार उपलब्धि का संबंध है, यह योजना मांग आधारित है, कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। हालांकि, प्राप्त वास्तविक संख्या वित्त वर्ष के अंत में साझा की जाएगी ।
29.10.2021 तक शिशु के तहत - 7,22,383.10 करोड़ रुपये, किशोर - 5,61,276.03 करोड़ रुपये और तरुण - 3,94,888.91 करोड़ रुपये ऋण स्वीकृत किया गया, कुल 1,678,548.04 करोड़ रुपये।
पीएमएमवाई के तहत 94,84,277 ऋण खातों की संचयी संख्या - 31.10.2021 तक – प्राप्त कर ली गई है।

(vi) अटल पेंशन योजना (सीएस)						
200.1	1. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सेवा प्रदाताओं (एसपी) को प्रोत्साहन 2. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत प्रचार अभियान	1.1. एपीवाई सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन के लिए स्वीकृत राशि (रुपये करोड़ में) 2.1. प्रचार अभियानों के लिए स्वीकृत राशि	190.3 लागू नहीं (*)	1. बेहतर जागरूकता के कारण ग्राहकों को अधिक कवरेज और वृद्धावस्था सुरक्षा	1.1. एपीवाई के तहत नामांकित उपभोक्ताओं की संख्या (करोड़ में)	1.10

(*) विभाग की सभी प्रचार संबंधी योजनाओं को एक में समेकित किया गया है, इसलिए व्यक्तिगत योजना का लक्ष्य लागू नहीं है।

(vii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की शेयर पूंजी का अभिदान						
100	1. भारत सरकार द्वारा आईएफसीआई में इक्विटी पूंजी निवेश	1.1. आईएफसीआई को प्रदान की गई इक्विटी निवेश के रूप में राशि (रू. करोड़ में)	100	1. अपेक्षित न्यूनतम विनियामक पूंजी पर्याप्तता बनाए रखें	1.1. पूंजी से जोखिम संपत्ति अनुपात (प्रतिशत में) (बराबर से अधिक)	15%

लोक उद्यम विभाग

(i) परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में) 2022-23	आउटपुट 2022-23			परिणाम 2022-23		
	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2022-23	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2022-23
3.40	1. परामर्श और प्रशिक्षण के माध्यम से पृथक हुए कर्मचारियों का पुनर्नियोजन।	1.1 प्रशिक्षित वीआरएस/वीएसएस विकल्पधारी/उनके आश्रितों की संख्या।	1500	1. परामर्श और प्रशिक्षण के माध्यम से पृथक हुए कर्मचारियों की वीआरएस/ वीएसएस पुनर्नियोजन का दायरा बढ़ाना	1.1 वीआरएस/वीएसएस विकल्पधारी/आश्रितों के पुनर्नियोजन का प्रतिशत	65%

(ii) सीपीएसईज और एसएलपीईज से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास और परामर्श

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में) 2022-23	आउटपुट 2022-23			परिणाम 2022-23		
	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2022-23	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2022-23
5.15	1. सीपीएसईज़ और एसएलपीईज़ से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन, प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित करना।	1.1सीपीएसईज़ और एसएलपीईज़ के कार्यपालकों के लिए आयोजित आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	22	1. सीपीएसईज़ और एसएलपीईज़ के लिए जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं को शामिल करना।	1.1पिछले वर्ष[1] में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या में वृद्धि/ कमी का प्रतिशत।	10%
		1.2.सीपीएसईज़ और एसएलपीईज़ के कार्यपालकों के लिए आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	13		1.2.पिछले वर्ष[1] में आयोजित कार्यशालाओं की संख्या में वृद्धि/कमी का प्रतिशत।	8%
		1.3.सीपीएसईज़ के निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रमों की संख्या	8		1.3.पिछले वर्ष[1] में भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या में वृद्धि/कमी का प्रतिशत।	10%
		1.4. किए गए अनुसंधान/विषयगत अध्ययनों की संख्या।	1		1.4. अनुसंधान/विषयगत अध्ययन के आधार पर जारी नीति/दिशानिर्देश/ परामर्श की संख्या।	1

[1]*आधार वर्ष वित्त वर्ष 2019-20 (75% भारिता) और वर्ष 2021-22 (25% भारिता) के रूप में लिया जाएगा क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कार्यक्रम आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं। वर्ष 2019-20 में केवल आवासीय कार्यक्रम आयोजित किए गए और वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी की स्थिति के कारण डीपीई, वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई-लर्निंग माध्यम द्वारा 02 कार्यक्रमों सहित 03 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 02 कार्यशालाओं का आयोजन कर पाया है।*

INDEX

Sl.No.	Departments	Page No.
1.	**Demand No. 32-Department of Financial Services**	
(i)	Grants to NABARD to settle the claims under Indo-Swiss Cooperation-VI	9
(ii)	Pradhan Mantri Vaya Vandan Yojana (PMVVY)[2] (CS)	9
(iii)	Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY[3]) : Interest subsidy to LIC for Pension Plan for Senior Citizens (CS)	10
(iv)	Credit Guarantee Scheme for Stand-Up India – CGSSI (through NCGTC)	10
(v)	Credit Guarantee Fund for Micro Units (for Pradhan Mantri Mudra Yojana)	10
(vi)	Atal Pension Yojana (CS)	11
(vii)	Subscription to the Share Capital of Industrial Finance Corporation of India (IFCI)	11
2.	**Demand No. 33 – Department of Public Enterprises**	
(i)	Counseling, Retraining and Redeployment (CRR) Scheme	12
(ii)	Research, Development and Consultancy on Generic issues related to CPSEs and SLPEs	13

Financial Outlay (Rs. In Cr.) 2022-23	OUTPUTS 2022-23			OUTCOME 2022-23		
	Output	Indicators	Target 2022-23	Outcome	Indicators	Target 2022-23
(i) Grants to NABARD to settle the claims under Indo-Swiss Cooperation - VI						
0.84	1. Refinance by NABARD for non-farm sector so as to increase the flow of credit by banks for non-farm activities in rural areas.	Percentage of amount released as claims to NABARD during FY 2022-23	0.84	1. Promotion of non-farm sector, through asset creation and capital formation	1.1 Release of refinance amount to NABARD from a Special Fund to cover repayments/ commitments due from GoI to the foreign administration against the Rural Non Farm Sector credit under the project. (in Rs. Crore)	0.84
(x) This may be removed from OOMF framework since, it is only a parking arrangement for debt servicing liabilities of GoI which is to be used for non-farm sector activities by NABARD as per MoU signed by GoI with Swiss government valid upto 2031.						
(ii) Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)[2] (CS) :						
473.92	1. Coverage of senior citizens under PM Vaya Vandana Yojana	1.1 No. of Senior Citizens opting for the monthly pension plan 1.2 No. of Senior Citizens opting for the quarterly pension plan 1.3 No. of Senior Citizens opting for the half yearly pension plan 1.4 No. of Senior Citizens opting for the annual pension plan	102,600 28,400 18,600 61,400	1. Amount disbursed under PM Vaya Vandana Yojana 2. Increased Coverage of senior citizens and shortfall from the assured return borne by the PM Vaya Vandana Yojana	1.1. Amount Disbursed by Life Insurance corporation (LIC) for Pension Payments (in Rs crore) 1.2. Amount Disbursed by LIC for Death Benefits (in Rs crore) 1.3. Amount Disbursed by LIC for pre-mature exit from the scheme (in Rs crore) 2.1. Percentage change in senior citizens under PM Vaya Vandana Yojana	5342.25 801.69 12.64 14.86

1 *Scheme is open for subscription up to 31st March, 2023; No further enrolment will be allowed thereafter.*

(iii) Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY[3]): Interest subsidy to LIC for Pension Plan for Senior Citizens (CS)						
94.56	1. Timely disbursement to 100% subscribers of Varistha Pension Bima Yojana	1.1 Release of guaranteed return to subscribers under the schemes (Rs in crore)	1,540	*	*	*
* *Scheme is closed for new subscribers, only existing subscribers are being paid guaranteed return through the support of GoI.*						
(iv) Credit Guarantee Scheme for Stand-Up India - CGSSI (through NCGTC)						
0.01*	To encourage collateral free lending by way of providing guarantee cover to such loans thereby reducing the Credit Risk of the Member Lending Institutions	Cumulative number of loan accounts to be guaranteed under the scheme	49,000 #	Increase in sanction of credit/loan between Rs. 10 lakh to 100 lakh to SC/ST and women entrepreneurs for setting up greenfield projects under Stand Up India Scheme (SUPI)	1.1 Number of loan accounts sanctioned 2022-23. 1.2 Number of loan accounts sanctioned to women. 1.3 Number of loan accounts sanctioned to Scs/STs beneficiaries	124889 ** 101714 23175

(*) No budgetary allocation has been made for BE 2022-23 as sufficient funds are available with NCGTC.
(#) Scheme is demand driven, actuals up to 31.10.2021. Actual 38,346 (cumulative SC/ST borrowers– 7,465 & Women borrowers– 30,881) on 31.10.2021.
(**) A cumulative target of 1,24,889 has been achieved till 31.102021 against a total target of 2.5 lakh loans upto the year 2025. As far as category wise achievement is concerned, the Scheme is demand driven, no annual targets are fixed. However, the actual numbers achieved will be shared at the end of FY. (Cumulative achievement till 31.10.2021 – SC/ST borrowers – 23,175 & Women borrowers – 1,01,714 Total = 1,24,889)

(v) Credit Guarantee Fund for Micro Units (for Pradhan Mantri Mudra Yojana)						
100	To encourage collateral free lending by way of providing guarantee cover to such loans thereby reducing the Credit Risk of the Member Lending Institutions	Cumulative number of loan accounts to be guaranteed under the scheme (in Lakh)	110	Increase in collateral free credit (loans up to Rs. 10 lakh) under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)	Amount of loan to be sanctioned under the Scheme by Member Lending Institutions (MLIs) and category wise achievement. Shishu, Kishore & Tarun (in Rs. Crore)	1678548 # 722383 561276 394888

* *Note: Collateral free loans in each category: Under Shishu: Rs. 50,000.00 Tarun: Rs. 5,00,000.00 and Kishore: Rs. 10,00,000.00*
\# *Target is fixed every year based on the achievement of previous year. Thus, target will be fixed in the first quarter of FY 2022-23. As far as category wise achievement is concerned, the Scheme is demand driven, no annual targets are fixed. However, the actual numbers achieved will be shared at the end of FY.*
Loan sanctioned till 29.10.2021 under Shishu – Rs.7,22,383.10 crore, Kishore – Rs.5,61,276.03 crore & Tarun – Rs.3,94,888.91 crore
Total Rs.1,678,548.04 crore.
Cumulative number of loan accounts 94,84,277under PMMY achieved - till 31.10.2021 –

(vi) Atal Pension Yojana (CS)						
200.1	1. Incentive to Atal Pension Yojana (APY) Service providers (SPs) 2. Promotional Campaign under Atal Pension Yojana (APY)	1.1. Amount sanctioned for incentive to APY SPs (in Rs. Crore) 2.1. Amount sanctioned for Promotional campaigns	190.3 NA (*)	1. Better awareness leading to more coverage and Old age security to the subscribers	1.1.Number of subscribers enrolled under APY (in Crore)	1.10

(*) All publicity related schemes of the Department have been consolidated in one, hence individual scheme targets not applicable.

(vii) Subscription to the Share Capital of Industrial Finance Corporation of India (IFCI)						
100	1. Equity capital infusion in IFCI by Government of India	1.1. Amount as Equity infusion provided to IFCI (in Rs crore)	100	1. Maintain requisite minimum regulatory Capital Adequacy	1.1. Capital to Risk Assets Ratio (in percentage) (greater than equal to)	15%

(i) Counseling, Retraining and Redeployment (CRR) scheme

Financial Outlay (Rs. in Cr.) 2022-23	OUTPUT 2022-23			OUTCOME 2022-23		
	Output	Indicator (s)	Target 2022-23	Outcome	Indicator (s)	Target 2022-23
3.40	1. Redeployment of separated employees through counselling and training.	1.1. Number of VRS/VSS optees / their dependents trained.	1500	1. Increase the coverage of VRS/VSS redeployment of separated employees through counselling and training	1.1. % of VRS /VSS optees / dependents redeployed	65%

(ii) Research, Development and Consultancy on generic issues related to CPSEs and SLPEs						
Financial Outlay (Rs. in Cr.) 2022-23	**OUTPUT 2022-23**			**OUTCOME 2022-23**		
	Output	**Indicator (s)**	**Target 2022-23**	**Outcome**	**Indicator (s)**	**Target 2022-23**
5.15	1. To undertake research studies, trainings, seminars, workshops on generic issues related to CPSEs and SLPEs.	1.1. No of Training Programmes for executive of CPSEs and SLPEs conducted	22	1. Coverage of research studies, training and workshops on generic issues to CPSEs and SLPEs.	1.1. % increase/ decrease in no. of trained executives over previous year[1]	10%
		1.2. No. of workshops for executives of CPSEs and SLPEs held	13		1.2. % of increase/ decrease in no. of workshops organized over previous year[1]	8%
		1.3. No. of orientation programmes for capacity building of Directors of CPSEs conducted	8		1.3. % of increase/ decrease in number of participated directors over previous year[1]	10%
		1.4 No of research/ thematic studies undertaken	1		1.4 No. of issuance of policy/ guideline/ advisory on the basis of research/ thematic study undertaken.	1

[1]Base year shall be taken as FY 2019-20 (75% weight) and 2021-22 (25% weight) as both online and offline programmes are proposed to be organized. Only residential programmes were organized in 2019-20 and online programmes are being organized in 2021-22. Due to Covid pandemic situation, DPE could conduct 03 nos. of training programs and 02 workshops including 02 programs by e-learning mode